



जनपद हमीरपुर

थाना चिकासी

दिनांक 22.10.2026

थाना चिकासी पुलिस द्वारा- केस नं० 238/23 अ०सं० 154/22 धारा 60 आब० अधि० व केस नं०- 1683/07 धारा 26/63 भारतीय वन अधि० थाना चिकासी से सम्बन्धि 03 वारण्टी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 22.10.2026 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा केस नं० 238/23 अ०सं० 154/22 धारा 60 आब० अधि० थाना चिकासी व केस नं०- 1683/07 धारा 26/63 भारतीय वन अधि० से सम्बन्धित मान० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राठ जनपद हमीरपुर व मान० न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राठ जनपद हमीरपुर द्वारा जारी वारण्ट के अनुपालन में कार्यवाही की गयी। उक्त क्रम में थाना चिकासी पुलिस द्वारा क्रमशः अभियुक्त पूरन सिंह पुत्र जगन्नाथ उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम बड़ेरा माफ थाना चिकासी जनपद हमीरपुर 2. उमाकान्त पुत्र बृजनन्दन चौबे उम्र करीब 45 वर्ष 3. मंगल पुत्र बृजनन्दन चौबे उम्र करीब 50 वर्ष निवासीगण ग्राम इस्लामपुर थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार कर मान० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. पूरन सिंह पुत्र जगन्नाथ (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी ग्राम बड़ेरा माफ थाना चिकासी हमीरपुर
2. उमाकान्त पुत्र बृजनन्दन चौबे (उम्र करीब 45 वर्ष)
3. मंगल पुत्र बृजनन्दन चौबे (उम्र करीब 50 वर्ष) निवासीगण ग्राम इस्लामपुर थाना चिकासी हमीरपुर

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम बड़ेरा माफ व ग्राम इस्लामपुर थाना चिकासी हमीरपुर

पुलिस टीम-

1. उ०नि० रामकिशोर यादव
2. का० अभिषेक तिवारी
3. का० कमल सोनी